छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Kanpur University, Kanpur)
कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

परीक्षा समिति की 18वीं बैठक दिनांक 11.03.2024, दिन सोमवार का कार्यवृत्त

आज दिनांक 11.03.2024, दिन सोमवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्य–परिषद् कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक ऑन–लाइन / ऑफ–लाइन माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :–

क्र.सं.	नाम	पद
1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, प्रति कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 सुधान्शु पाण्डिया, डीन, एस0बी0एम0, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 ब्रजेश कुमार सक्सेना, डीन साइंस, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय, प्राचार्य, अकबरपुर डिग्री कॉलेज, अकबरपुर, कानपुर देहात	सदस्य
6.	प्रो0 नीरज कुमार सिंह, आचार्य, एस0बी0एम0 विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
7.	प्रो0 वी0के0 कटियार, प्राचार्य, ब्रम्हावर्त डिग्री कॉलेज, मंधना, कानपुर नगर।	सदस्य
8.	प्रो0 अमर श्रीवास्तव, प्राचार्य, हरसहाय डिग्री कॉलेज, कानपुर।	सदस्य
9.	प्रो0 नन्दलाल यादव, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
10.	प्रो0 वर्षा गुप्ता, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्या
11.	डॉ0 अनुराधा कलानी, सह–आचार्य, लाइफ सांइस विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्या
12.	प्रो0 विवेक कुमार द्विवेदी, प्राचार्य, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
13.	प्रो0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
14.	डॉ0 अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
15.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
16.	श्री राकेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	पदेनसचिव
17.	प्रो0 श्याम शंकर सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 आर0के0 द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	डॉ0 बृष्टि मित्रा, डीन एकेडेमिक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्या
21.	डॉ0 सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति में निम्नांकित निर्णय लिए गये–

मद संख्या– 2024.18.01

दिनांक 20.07.2023 को आयोजित परीक्षा समिति की 15वीं बैठक, दिनांक 09.09.2023 को आयोजित 16वीं (आपात) बैठक एवं दिनांक 30.11.2023 को आयोजित परीक्षा समिति की 17वीं (आपात) बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण/अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा दिनांक 20.07.2023 को आयोजित परीक्षा समिति की 15वीं बैठक, दिनांक 09.09.2023 को आयोजित 16वीं (आपात) बैठक एवं दिनांक 30.11.2023 को आयोजित परीक्षा समिति की 17वीं (आपात) बैठक की कार्यवाही सर्वसम्मति से सम्पुष्टिकृत किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या– 2024.18.02

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में छात्र सहायता प्रकोष्ठ एवं पी0एम0यू0 की बैठक दिनांक 02.08.2023, छात्र सहायता प्रकोष्ठ, परीक्षा विभाग एवं पी0एम0यू0 की बैठक दिनांक 30.09.2023, छात्र सहायता प्रकोष्ठ की बैठक दिनांक 15.12.2023 तथा छात्र सहायता प्रकोष्ठ, परीक्षा विभाग एवं पी0एम0यू0 की बैठक दिनांक 23.01.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में छात्र सहायता प्रकोष्ठ एवं पी0एम0यू0 की बैठक दिनांक 02.08.2023, छात्र सहायता प्रकोष्ठ, परीक्षा विभाग एवं पी0एम0यू0 की बैठक दिनांक 30.09.2023, छात्र सहायता प्रकोष्ठ की बैठक दिनांक 15.12.2023 तथा छात्र सहायता प्रकोष्ठ, परीक्षा विभाग एवं पी0एम0यू0 की बैठक दिनांक 23.01.2024 के कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या– 2024.18.03

परीक्षा समिति के सदस्य डॉ0 प्रभात द्विवेदी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–29 तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय–XXXIII के परिनियम के प्रावधानानुसार एक नये सदस्य को परीक्षा समिति द्वारा नामित किये जाने पर विचार।

निर्णय–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–29 तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय–XXXIII के परिनियम के प्रावधानानुसार (One other member of the Academic Council who is neither a member of the Executive Council nor Dean, to be Co-opted by the Examination Committee) परीक्षा समिति द्वारा प्रो0 राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक कॉलेज विकास परिषद् को नामित किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या– 2024.18.04

एन0ई0पी0 सम सेमेस्टर एवं वार्षिक मुख्य परीक्षा एक साथ सम्पन्न कराये जाने पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा सत्र 2023–24 की वार्षिक मुख्य परीक्षा को एन0ई0पी0 सम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सम्पन्न कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या– 2024.18.05

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत माहिर–ए–ज़राहत (Master of Surgery) एवं माहिर–ए–तिब (Doctor of Medicine) की उपाधियों में अंकित विशिष्टताओं को IMCC (Post Graduate Unani Education) Regulation 2007 के अनुसार संशोधित किये जाने के निर्णय के अनुमोदन पर विचार।

सत्र 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के MS (Jarahat), MS (Qabalat Wa Amraze Niswan), MD (Moalejat) एवं MD (Munafeul Aza) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उपाधि में अंकित विशिष्टताओं को IMCC (Post Graduate Unani Education) Regulation 2007 के अनुसार निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

S.N.	Specialties mentioned in degree issued by the University	Specialties as per IMCC (Post Graduate Unani Education) Regulation 2007
1	Mahire Jarahat (Master of Surgery) Surgery	Mahir-e-Jarahat (Master of Surgery) Ilmul Jarahat (Surgery)
2	Mahire Jarahat (Master of Surgery) Gynaecology & Obstetrics	Mahir-e-Jarahat (Master of Surgery) Ilmul Qabalat-wa-Amraz-e-Niswan (Obstetrics & Gynaecology)
3	Mahire Tib (Doctor of Medicine) Moalijat (Medicine)	Mahir-e-Tib (Doctor of Medicine) Moalejat (Medicine)
4	MD Unani (Munafe-ul-Aza) (Physiology)	Mahir-e-Tib (Doctor of Medicine) Munafe-ul-Aza (Physiology)

उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय परीक्षा समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.06

आयुष मंत्रालय भारत सरकार के Regulation 2016 के अन्तर्गत बी0ए0एम0एस0 एवं बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित ऐसे छात्र/छात्रायें जो अधिकतम प्रयासों एवं अवधि की निर्धारित संख्या के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके उन्हें NCISM के पत्र संख्या BOA/Regulation/UG/7-10/2021 Dated 15.12.2021 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में Mercy Attempts के रूप में बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 की परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने पर विचार।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की अधिसूचना दिनांक 07.11.2016 के नियम 4 (ग) के अनुसार "04 व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी परीक्षा में चार अवसरों के पश्चात् अनुत्तीर्ण छात्र को नियमित अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगीः बशर्ते कि, छात्र की गंभीर व्यक्तिगत बीमारी के मामले में तथा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में, संबधित विश्वविद्यालय का उप कुलपति चार व्यावसायिक परीक्षा में से किसी में भी एक अधिक अवसर प्रदान कर सकता है।"

इसके अतिरिक्त NCISM के पत्र संख्या BOA/Regulation/UG/7-10/2021 दिनांक 15.12.2021 द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिया गया है:–

"Therefore, the Commission considered this scenariao, and decided that students admitted under 2016 regulation, who could not pass examinations as per specified number of maximum attempts and duration, three more chances over and above mercy chances shall be allowed.

This is a one-time measure considered due to unforeseen Covid-19 Pandemic situation.

अतः उपरोक्त के आलोक में सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को Mercy Attempt प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत ।

निर्णय–

NCISM के उपरोक्त पत्र संख्या BOA/Regulation/UG/7-10/2021 दिनांक 15.12.2021 के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के Regulation 2016 के अन्तर्गत बी0ए0एम0एस0 एवं बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित ऐसे छात्र/छात्रायें जो अधिकतम प्रयासों एवं अवधि की निर्धारित संख्या के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके उन्हें Mercy attempts के रूप में एक अतिरिक्त अवसर दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.07

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सी0ओ0ई0/70/2024 दिनांक 20.01.2024 द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के बैच 2019 एवं उसके बाद के बैच का परीक्षा परिणाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के Competency Based Medical Education Curriculum (CBMEC) Guidelines के अनुसार घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके अनुसार सम्बन्धित छात्र/छात्रा को उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत लिखित एवं 40 प्रतिशत प्रयोगात्मक तथा औसत कुल 50 प्रतिशत प्रति विषय प्राप्तांक होना अनिवार्य है। उपरोक्त से परीक्षा समिति को संसूचित किया जाना।

दिनांक 20.01.2024 को डीन मेडिकल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में की गयी संस्तुतियों के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सी0ओ0ई0/ 70/2024 दिनांक 20.01.2024 द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के बैच 2019 एवं उसके बाद के बैच का परीक्षा परिणाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के Competency Based Medical Education Curriculum (CBMEC) Guidelines के अनुसार घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके अनुसार सम्बन्धित छात्र/छात्रा को उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत लिखित एवं 40 प्रतिशत प्रयोगात्मक तथा औसत कुल 50 प्रतिशत प्रति विषय प्राप्तांक होना अनिवार्य है।

उपरोक्त निर्णय परीक्षा समिति के संसूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति तद्नुसार संसूचित हुई।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.08

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के शुल्क में वृद्धि किये जाने पर विचार।

निर्णय–

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से एक समिति का गठन निम्नानुसार किया गयाः–

1. प्रो0 सुधांशु पाण्डिया, अधिष्ठाता प्रशासन, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. प्रो0 राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक कॉलेज विकास परिषद् सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. प्रो0 नीरज कुमार सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. प्रो0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, कानपुर।
5. श्री जितेन्द्र वर्मा, वित्त एवं लेखाधिकारी, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. श्री अजय कुमार गौतम, उप–कुलसचिव (परीक्षा), सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. श्रीमती अंजलि मौर्या, उप–कुलसचिव (एस0एस0सी0), सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।

समिति अन्य विश्वविद्यालयों के शुल्क संरचना का अवलोकन करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी जो आगामी परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या 2024.18.09

बी0एससी0 (कृषि) एवं एम0एससी0 (कृषि) की अंकतालिकाओं में क्रेडिट स्कोर के साथ वास्तविक अंक भी प्रदर्शित किये जाने पर विचार।

वर्तमान व्यवस्था में बी0एससी0 (कृषि) एवं एम0एससी0 (कृषि) की अंकतालिकाओं में क्रेडिट स्कोर के साथ वास्तविक अंक प्रदर्शित नहीं होता है जिसके कारण छात्र/छात्राओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। उपरोक्त परिस्थिति में बी0एससी0 (कृषि) एवं एम0एससी0 (कृषि) की अंकतालिकाओं में क्रेडिट स्कोर के साथ वास्तविक अंक भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बी0एससी0 (कृषि) एवं एम0एससी0 (कृषि) की अंकतालिकाओं में क्रेडिट स्कोर के साथ वास्तविक अंक प्रदर्शित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.10

छात्र जगदीश प्रसाद द्वारा एलएल0बी0 प्रथम वर्ष 2002 में द्वितीय वर्ष 2003 में तथा तृतीय वर्ष 2009 में उत्तीर्ण किया गया है। छात्र द्वारा उक्त पाठ्यक्रम निर्धारित अधिकतम अवधि के अन्तर्गत न पूर्ण कर पाने के कारण उसके परीक्षाफल में आर0डी0 अंकित है। इस सम्बन्ध में उपाधि निर्गत किये जाने हेतु छात्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार।

छात्र द्वारा एलएल0बी0 प्रथम वर्ष अनुक्रमांक 60257 के साथ वर्ष 2002 में, द्वितीय वर्ष अनुक्रमांक 80144 के साथ वर्ष 2003 में तथा तृतीय वर्ष अनुक्रमांक 30630 के साथ वर्ष 2009 में उत्तीर्ण किया गया है। एलएल0बी0 पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने की अधिकतम अवधि 06 वर्ष निर्धारित है जबकि छात्र द्वारा उक्त पाठ्यक्रम 08 वर्ष में पूर्ण किया गया है। फलस्वरूप परीक्षा परिणाम में आर0डी0 अंकित है। छात्र द्वारा उक्त आर0डी0 हटाते हुए उपाधि निर्गत किये जाने का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जो परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से छात्रहित में यह निर्णय लिया गया कि छात्र श्री जगदीश प्रसाद एल0एल0बी0 वर्ष 2009 अनुक्रमांक–30630 को 08 वर्षों में उत्तीर्ण करने सम्बंधी प्रकरण पर समय की बाध्यता को समाप्त करते हुए परीक्षाफल में अंकित आर0डी0 निरस्त करते हुए परीक्षाफल पूर्ण किया जाये।

इस प्रकरण को भविष्य के लिए नजीर न बनाया जाय।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.11

छात्र राहुल भारद्वाज द्वारा वर्ष 2008 में बी0ए0 तृतीय वर्ष (अनुक्रमांक 604084) की परीक्षा दी गयी थी। इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न–पत्र में छात्र अनुपस्थित दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में छात्र द्वारा डी0बी0एस0 महाविद्यालय, कानपुर से सत्यापन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु तत्समय की उत्तर पुस्तिकाये विनष्ट किये जाने के कारण अंक प्राप्त नहीं हो सका है। छात्र का परीक्षाफल पूर्ण किये जाने पर विचार।

उपरोक्त सत्यापन के आधार पर परीक्षा समिति के समक्ष छात्र का परीक्षाफल पूर्ण किये जाने पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छात्र राहुल भारद्वाज बी0ए0 तृतीय वर्ष अनुक्रमांक –604084 इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र में प्रस्तुत सत्यापन प्रपत्र के आलोक में अनुपलब्ध अंक के स्थान पर इतिहास विषय के द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र के आधार पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.12

विश्वविद्यालय में उपलब्ध अंकचार्ट के अनुसार छात्र रवि भूषण तिवारी बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर के मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित है। सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा छात्र के मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होने का कथन किया गया है। महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में छात्र का परीक्षाफल पूर्ण किये जाने पर विचार।

महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में परीक्षा समिति के समक्ष छात्र का परीक्षाफल पूर्ण किये जाने पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–

समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छात्र रविभूशण तिवारी बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर के मौखिक परीक्षा में लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों का नियमानुसार औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.13

छात्रा दीपमाला सिंह द्वारा एम0ए0 प्रथम वर्ष 2004 में तथा द्वितीय वर्ष 2009 में उत्तीर्ण किया गया है। छात्रा के द्वितीय वर्ष के अंकचार्ट में प्रथम वर्ष के अंक अंकित नहीं हैं। छात्रा द्वारा उक्त पाठ्यक्रम निर्धारित अधिकतम अवधि के अन्तर्गत न पूर्ण कर पाने के कारण उसके परीक्षाफल में आर0डी0 अंकित है। इस सम्बन्ध में उपाधि निर्गत किये जाने हेतु छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार।

छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–

समिति द्वारा छात्रा दीपमाला सिंह के एम0ए0 द्वितीय वर्ष 2009 परास्नातक पाठ्यक्रम 5 वर्षों के स्थान पर 6 वर्षों मे उत्तीर्ण किये जाने सम्बंधी प्रकरण पर विचार किया गया एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों को 5 वर्षों मे उत्तीर्ण करने सम्बंधी प्रवेश समिति के निर्णय दिनांक 07.08.2015 का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2015 से पूर्व परास्नातक पाठ्यक्रमों में समय–सीमा निर्धारित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छात्रा दीपमाला सिंह एम0ए0 द्वितीय वर्ष के में प्रथम वर्ष विवरण अंकित करते हुए परीक्षाफल पूर्ण किया जाये एवं उपाधि निर्गत करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

इस प्रकार के समान प्रकरणों पर प्रकरणवार परीक्षा नियंत्रक की अनुमति के उपरान्त निस्तारित किया जाय।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.14

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सी0ओ0ई0/111/2024 दिनांक 31.01.2024 द्वारा स्नातक एवं परास्नातक मुख्य वार्षिक परीक्षा के गैप इयर के छात्र/छात्राओं को परीक्षा फॉर्म पूरित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त से परीक्षा समिति को संसूचित किया जाना।

निर्णय–

परीक्षा समिति उक्त से संसूचित हुई।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.15

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सी0ओ0ई0 / 137 / 2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा स्नातक मुख्य वार्षिक परीक्षा के छात्र / छात्राओं को अधिकतम तीन पेपर की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने तथा परास्नातक मुख्य वार्षिक परीक्षा के छात्र / छात्राओं को अधिकतम दो पेपर की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त से परीक्षा समिति को संसूचित किया जाना।

निर्णय–

परीक्षा समिति उक्त से संसूचित हुई।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद

मद संख्या 2024.18.01–अ.म.

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त पत्र संख्या 466 / सत्तर–3–2024 दिनांक 26. 02.2024 द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों की **ABC/APAAR ID (Academic Bank of Credit/Automated Permanent Academic Account Registry ID)** एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट पोर्टल (**https://www.abc.gov.in/**) पर बनाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म में **ABC/APAAR ID** भरने के लिए एक अतिरिक्त कॉलम बनाने का निर्देश दिया गया है। उक्त पत्र के अंगीकरण एवं क्रियान्वयन पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त पत्र को अंगीकृत करते हुए तद्नुसार क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.02—अ.म.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के डिजर्टेशन/प्रोजेक्ट के मूल्यांकन हेतु वाह्य परीक्षकों के निर्धारण पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्नातक एवं परास्नातक विषयों के डिजर्टेशन/प्रोजेक्ट के मूल्यांकन हेतु आन्तरिक परीक्षक सम्बन्धित महाविद्यालय एवं वाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालयों का होगा। परास्नातक पाठ्यक्रमों में वाह्य परीक्षक उसी महाविद्यालय का होगा जहाँ सम्बन्धित पाठ्यक्रम परास्नातक स्तर पर संचालित हो।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.18.03—अ.म.

विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024—25 हेतु प्रस्तावित सर्टिफिकेट कोर्सेस संचालित किये जाने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024—25 हेतु प्रस्तावित निम्नवत् सर्टिफिकेट कोर्सेस को संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इस विद्यापरिषद् में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया :—

1. Scents and Perfume making
2. Food Processing Industry (Potato/Chips)
3. Leather Garment
4. Fertilizers & Cement Industry
5. Automobile parts, Machines and tools
6. Handicrafts and Artificial Jewellery
7. Textile Industry
8. Handloom Industry
9. Power loom Industry
10. Pharmaceuticals Industry
11. Spices Industry
12. Aromatics Industry

13. Cotton Hosiery Cluster
14. Readymade Garment Design
15. Soap & Detergent
16. Cotton Hosiery Textile
20. Milk Processing/Dairy Product (Desi Ghee)
21. Block printing (made of wood and brass). These blocks are used on various items including blanket covers. shawls, sarees, suits, scarfs, stoles etc.
22. Soda water
23. Woollen, silk & artificial thread based clothes
24. Jute & jute based product
25. Paper & Paper products
26. Mineral water
27. Basic Metal based (Steel Fab.)
28. Food/ Beverages product
29. Agro based product
30. Pickle making

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

<u>मद संख्या 2024.18.04–अ.म.</u>

एलएल0बी0 पाठ्यक्रम के ऐसे छात्र/छात्रा जो निर्धारित अधिकतम अवधि में पाठ्यक्रम नहीं पूर्ण कर सके उन्हें एक और अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध अनुमति प्रदान किये जाने हेतु बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को पत्र प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त के सम्बन्ध में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को पत्र प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की गयी तथा यह राय व्यक्त की गयी कि निदेशक विधि बार काउंसिल ऑफ इण्डिया से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त कर लें।

कार्यवाही–निदेशक विधि/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

अन्त में सचिव द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

11/3/2024

(राकेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष